भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1681

(दिनांक 03.08.2023 को उत्तर देने के लिए)

भ्रामक विज्ञापनों पर रोक

1681. श्री नीरज डांगीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 'ओवर द टॉप' (ओ टी टी) चैनलों पर सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइटों संबंधी एप और भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के कारण हुई आत्महत्या की घटनाओं से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): ''सट्टेबाजी और जुआ" भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत आते हैं जिसमें राज्यों द्वारा उनके विनियमन का प्रावधान है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सट्टेबाजी और जुए से निपटने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाए हैं।

चूंकि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश भागों में अवैध है, अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनके सरोगेट उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को दिनांक 13.06.2022, 03.10.2022 और 06.04.2023 को एडवाइजरी जारी की थी, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने दिनांक 2 मई, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के आउटडोर विज्ञापनों को नियंत्रित करने हेतु उचित कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

*****